(TO BE PUBLISHED IN PART -IV OF THE DELHI GAZETTE EATRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS) 8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(3)/LA-2016/cons2law/29-38

Dated 31th March, 2016

NOTIFICATION

NO. F.14(3)/LA-2016/ cons2law $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{5}$ -. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 30th March, 2016 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2016 (DELHI ACT 01 OF 2016)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 28th March, 2016)

[30th March, 2016]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2015-16

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

 This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2016.

issue of `1420,44,59,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016. 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees One Thousand Four hundred Twenty crore Forty Four lakhs Fifty Nine thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

 The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE (See sections 2 and 3)

('In thousands)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand	Commisses and Dumeses	1	SUMS NOT EXCEEDING			
No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
1	2	-	3	4	5	
2	General Administration	Revenue	69847	21400	91247	
3	Administration of Justice	Revenue	2783875	2500	2786375	
4	Finance	Revenue Capital	100 3000	0	100 3000	
5	Home	Revenue	200	0	200	
6	Education	Revenue	1800	0	1800	
7	Medical and Public Health	Revenue Capital	2600 200	0 0	2600 200	
8	Social Welfare	Revenue Capital	1345300 1975737	0 0	1345300 1975737	
9	Industries	Revenue	200	0	200	
10	Development	Revenue Capital	100 <u>0</u>	0 2100	1000 2100	
11	Urban Development and Public Works	Revenue Capital	6100 7988500	0	6100 7988500	
Total			14178459	26000	14204459	

Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग) आठवाँ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं0 फा0 14(3)/एलए-2016/ cons2law/ 29-38

दिनांक 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

सं० फा० 14(3)/एलए-2016/ cons2law/<math>29-3 .— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप—राज्यपाल की सहमित दिनांक 30 मार्च, 2016 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये ब्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2016 (2016 का दिल्ली अधिनियम 01)

(28 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[30 मार्च, 2016]

वर्ष 2015-16 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सङ्सठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त शीर्षक।

 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2016 है।

`1420,44,59,000/का वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक हजार चार सौ बीस करोड चवालीस लाख उनसठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015-2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

 इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

c-Frank

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(हजार)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	<i></i>
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	69847	21400	5 91247
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	2783875	2500	2786375
4	वित्त	राजस्व पूंजी	100 3000	0	100 3000
5	गृह	राजस्व	200	0	200
6	शिक्षा	राजस्व	1800	0	1800
7	चिकित्सा एवं जन स्ववास्थ्य	राजस्व पूंजी	2600 200	0	2600 200
8	समाज कल्याण	राजस्व पूंजी	1345300 1975737	0	1345300 1975737
9	जद्योग	राजस्व	200	0	200
10	विकास	राजस्व पूंजी	1000	0 2100	1000 2100
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व पूंजी	6100 7988500	0	6100 7988500
		योग	14178459	26000	14204459

(सी.अरविंद) अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)